

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध / द्वारा फैक्स / क्यू-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर-2, चतुर्थ तल, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ 226010

संख्या:डीजी-चार-स्थान-ग्रीष्मकालीन स्थान नामु/2020/269 दिनांक:लखनऊ: 22 जनवरी 2021
सेवा में,

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त-लखनऊ नगर / गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2021 के अन्तर्गत जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरणों एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) निरीक्षक नागरिक पुलिस
- (2) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस
- (3) उप निरीक्षक नामु/विभ्रो/मुख्य आरक्षी नामु/विभ्रो
- (4) मुआमा विभ्रो/आरक्षी नामु/विभ्रो

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी E Mail ID-dgphqrstransfercell@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित "पुलिस स्थापना बोर्ड" के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2021 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 15.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वॉचिट स्थानान्तरण से संबंधित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 28.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित / समेकित सूची / विवरण दिनांक: 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उसपर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय का होगा।
- (4) स्थानान्तरण से संबंधित संदर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक: 11.07.1986 एवं 07.06.2014 व 24.07.2015 तथा इस मुख्यालय के पत्र दिनांकित 22.06.2017 एवं 19.12.2020 में निहित प्राविधानों को भी ध्यान में रखते हुये किया जाये। शासनादेश व पत्र की प्रति संलग्न है।
- (5) परिक्षेत्र / जोन / मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (6) प्रत्येक जनपद / कार्यालय का पदवार अद्यावधिक स्वीकृत नियतन / उपलब्धता / रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।

- (7) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण संबंधी समस्त कार्यवाही दिनांक: 31.03.2021 तक पूर्ण कर ली जायेगा। अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही दिनांक: 31.03.2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।
- (8) परिक्षेत्र/जोनल/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2021 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2020 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुए, अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप—"ए" में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किये जाय। इन सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही संबंधी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो एवं उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार उपलब्ध हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut-off Date 30-04-2021 नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:-

क्रमांक क्र0 सं0	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद/कमिशनरेट में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक नामपु0	05 वर्ष	12 वर्ष (कमिशनरेट पर लागू नहीं होगा)
1	उपनिरीक्षक नामपु0	06 वर्ष	12 वर्ष (कमिशनरेट पर लागू नहीं होगा)
2	उपनिरीक्षक नामपु0 वि0श्रो/ मुख्य आरक्षी नामपु0	10 वर्ष	—
3	मुख्य आरक्षी नामपु0 वि0श्रो/ आरक्षी नामपु0	15 वर्ष	—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण अलग-अलग निर्धारित प्रारूप—"बी" में हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाय।

3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था०(निर्देश) / 2017 दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक “प्रशासनिक स्थानान्तरण” के बिन्दु संख्या 01 से 06 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना प्रारूप डी में संलग्न की जाये। साथ ही ऐसे कर्मी के नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी हैं तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाय।
- माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालयय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए स्थगन संबंधी माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रति संलग्न की जाय तथा प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ निम्न प्रारूप संलग्न है:-

प्रारूप-ए अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने

प्रारूप-बी निर्धारित समयावधि

प्रारूप-सी प्रशासनिक एवं जनहित

प्रारूप-डी पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण

प्रारूप-ई पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मी अपने प्रार्थना पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सके तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।

3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

4. संबंधित कर्मी के प्रार्थना पत्र को कमांकित किया जाय तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशासकीय पत्रांक 8/2008 दिनांक: 29-01-2008 के अनुसार सभी कर्मियों का सही पर्सनल नम्बर (पीएनओ जो नामिनल रोल सिस्टम पर प्रदर्शित हो रहा हो) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिवित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्मालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. जनपद लखनऊ में कमिशनरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त जनर्केंड लखनऊ नगर एवं लखनऊ ग्रामीण में स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों द्वारा जनपद लखनऊ नगर, लखनऊ ग्रामीण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
10. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी0डी0 तथा E Mail ID-dgphqrstransfercell@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय। इस परिपत्र की प्रति Circulars Regarding Establishment Matters of Non-GOs by DGP HQ पर भी उपलब्ध है।

संलग्नकःप्रारूप।

22(0)
(आर0के0भारद्वाज)

पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-चार-स्था0-निर्देश-2017/900 दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक 'कार्यकाल निर्धारण के संबंध में मानक' में निहित प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन

कर्मियों का समायोजन उनके अधीनस्थ इकाईयों में सम्भव न हो, से संबंधित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी0डी0 में तैयार करकार मय हार्ड कापी दिनांक: 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/ विशेष जांच/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू/अभिसूचना मुख्यालय/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/रेडियो मुख्यालय/सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/ यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ/आईटैक्स यूपी 112/एटीएस उ0प्र0/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ/लाजिस्टिक्स/डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण संस्थाविद्यालय मुरादाबाद /पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर/एटीसी सीतापुर।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ
- 3— निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।
- 6— सेनानायक, ए0पी0टी0एस0 चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 7— सेनानायक, पीटीएस भेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव/सुल्तानपुर/जालौन।
- 8— पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।
- 9— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 10— मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
- 3— अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रारूप "ए"

अनुक्रम-के-आधार-पर-स्थानान्तरण-चाहने वाले कर्मियों का विवरण											
क्रमांक	पदनाम	वैज	प्रेसन्झोट	कर्मी		पिता		जाति		जन्म	
				नाम	का नाम	का नाम	भौति	जन्म की तिथि	वर्तमान पद पर	गृह नियुक्ति की तिथि	वर्तमान जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21			

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनाएं भाइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्ण) में तैयार की जाएं, कोई कालम मर्ज न किये जाएं, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में ऑफेत की जाय।

प्रारूप "बी"

निर्धारित अवधि पर्याप्त करने वाले कामियों का विवरण																	
कठसं	पदनाम	बैज्ञ	पीएनओ	कर्मी	पिता	जाति	जन्म	मरी	यत्नमान	गृह	पुरे नियुक्तियों का विवरण	वत्तमान	वत्तमान	यदि कर्मी हासा	यदि कर्मी		
	नं०	नं०	नं०	का नाम	का नाम	श्रेणी	जीवि	की तिथि	पद पर जनपद	जनपद/इकाई	काब	काब	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति का जनपद	गया हो तो उसमें वर्गित विकल्प	आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्गित विकल्प	स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्ण) में तैयार की जायें, कोई कालम भर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "सी"

कठोर	पदनाम	बैज	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण											
										गृह जनपद का नाम	पूर्व नियुक्तियों का विवरण	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	यादि नियुक्ति में जनपद	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु सट कारण/संस्तुति	यदि कर्मी नाम किसी अन्य सूची में सामिल हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	जाए	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

व मुहर

नोट: समस्त सूचनाएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हिन्दी फान्ट(कृष्ण) में तैयार की जायें, कोई कालम भर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "डी"

स्थानान्तरणधीन परिस्थिति का विवरण जिन्हें क्रयमुक्त नहीं किया गया।

क्रमांक	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ०	कर्मी नं०	पिता का नाम	नियुक्त का नाम	जनपद का नाम	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अनुचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

प्रारूप "ई"

स्वीकृत, नियतन, उल्लङ्घना रिक्त एवं अधिकता का विवरण						
क्र० सं	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उल्लङ्घना	रिक्त	अधिकता
1	निरीक्षक					आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या
2	उपनिरीक्षक					आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या
3	मुख्य आरक्षी					प्रेषित नामांकन की संख्या
4	आरक्षी					

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर भवन पुलिस मुख्यालय टावर-2चतुर्थ तल, गोमतीनगर, विस्तार, शहीदपथ, लखनऊ।
संख्या: डीजी-चार-स्था०-ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण/2019/2680/2383 दिनांक: दिसम्बर १९, २०२०

सेवा में,

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त लखनऊ नगर एवं गौतमबुद्धनगर।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जो ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण व्यवस्था 2020 के अन्तर्गत समयावधि पूर्ण करनें वाले उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी का नामांकन निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2— उल्लेखनीय है कि आपके जोन के माध्यम से प्राप्त नामांकन पर कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी थी। शासनादेश सं०: 2176/6-पु-1-20-71/92टीसी दिनांक: 12-11-2020 द्वारा पुलिस विभाग को अनुकम्पा के आधार पर स्वयं के व्यय पर तथा समयावधि पूर्ण वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने की छूट प्रदान कर दी गयी है। आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में अधिकांश कर्मी सेवानिवृत्त/मृत/स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त हो गये होंगे।

3— प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 212/छ:पु०से०-२-२०-५२२(९)/२०२० दिनांक: 28.10.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश में आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लखनऊ नगर, लखनऊ ग्रामीण एवं गौतमबुद्धनगर को जनपद माना गया है। जिसके कारण कमिशनरेट लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर में नियुक्त कर्मी का कार्यकाल जनपद के समान आगणित किया जायेगा। अतः लखनऊ नगर एवं गौतमबुद्धनगर से केवल उन उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी के नामांकन उपलब्ध कराये जायेंगे जिन्होंने कमिशनरेट में उ०नि० ०६ वर्ष, मुख्य आरक्षी 10 वर्ष एवं आरक्षी 15 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

4— अतः अनुरोध है कि ऐसे उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी जिन्होंने जनपद/परिक्षेत्र/जोन का कार्यकाल दिनांक 30.04.2020 तक पूर्ण कर लिया हो उनका नामांकन इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20.12.2019 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दिनांक 21.12.2020 तक साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में विशेष वाहक के माध्यम से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साफ्ट कॉपी ई-मेल आईडी—digkarmik@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

५८५/२०२०
(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

मी आरोपीकरणात
संदिग्ध

संस्कृत विज्ञान

श्री याता प्रसाद,
पृष्ठ संचित,
दत्ता प्रसाद गामन

સુધી

पुस्तिस पद्मनिरेशक,
त्रितीय प्रस्तोता, संष्कृतज्ञ

નવીની પત્રિકા

विषय- एविया द्वारा कैसे बोलती हैं (कान्स), डायरीकॉक तथा निरीकॉक की विपुलित ऐसे स्थानांतरण।

—
—
—

୨୮୫

दर्शक विप्रक गोपनीयों संडेन-3447/आठ-1-31/70 दिनांक 27 जून 1983 का आवश्यक
कार्य हुए थे गोपनीय अदेता देते हैं कि पुस्तक एवं कॉम्प्लेट, इंड कान्सरिन, डप नियोजक
कार्य नियोजक की विधिवत् एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न शुल्कों अपर्याप्त जाप होते रहा गोपनीय
दा खोप तक संतुष्टि संप्रदाय जाप ।

- किसी भी निरीक्षक अधिक उपर्युक्त को उसके गृह परिवेश में हीनत न किया जाए । साथ ही किसी भी निरीक्षक अधिक उपर्युक्त को ऐसे जिसे ये हीनत न किया जाए वह उसके गृह चन्द्रम से स्थिरवर्ती हो ।

किसी भी निरीक्षक अधिक उपर्युक्त को एक परिवेश में पूरे रोपा काल में 12 घण्टे से अधिक अवधि प्राप्त किया जाए । यदि उपर्युक्त अधिक अवधि से अधिक अवधि तथा निरीक्षक को एक चन्द्रम पर 5 घण्टे से अधिक नियुक्त न किया जाए । 3- अधिक अवधि के दौरान उपर्युक्त को खेला अलगी कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाए । इसके दौरान उपर्युक्त को लिंग और सामाजिक वर्ग के अनुसार विभिन्न अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए ।

3- अधिक अवधि के अलावा उपर्युक्त को निरीक्षक के पर पर शोन्हि द्वारा उक्ती प्रथम नियुक्ति विस्त पुलिस में न की जाए अतिरुद्धारी नियुक्ति अधिक अनुसंधान विभाग सहायता दिया जाए । यदि नियुक्ति उन से दूष तैयारी कर देते होंगी । इस नियुक्ति द्वारा भी उनके गृह परिवेश एवं अधिक अधिक स्थिरवर्ती जिती जाए तो इसे उपर्युक्त के द्वारा नियुक्ति द्वारा दी जाए । यदि कोई भी निरीक्षक शोन्हि के द्वारा अनुसोधित होते हों तो उसे उपर्युक्त के द्वारा नियुक्ति द्वारा दी जाए ।

ଶୁଣି ଉଦ୍‌ଧାରିତ ପାନିଟିଛି (ଯାକିମି)
ପୁଷ୍ପରୂପ ଶୁଣି ପାନିଟିଛି
୩୦ ମ୍ବେ, ଅନୁମତି

(2)

- 4- शीर्षक हाए यह भी निरीय तिथि गणा है कि धाने के प्रभावी अधिकारी शारीरिक इच्छा से स्वस्थ आवेदा ही हो, अतः खांसाणतापा जिन नियोक्ताओं/ठप्पे/नियोक्ताओं में 50 वर्ष से अधिक आयु वाला कर तो हो, वह धाने का कार्यमार्ग न दिया जाय ! इस संबंध में शारीरिक स्वस्थता ही बुलियापर्णद असाम से जारी किये जा रहे हैं ।
- 5- हेठले कानूनों के बास्तविक से अपने गृह घरपट वे तथा गृह घरपट के सर्वगती वापरों में तीनों वाले किया जाव अधिका जिन जागरूक में डॉकी अवल सम्पादित हो, उनमें पी नियोक्ता व किया जाव । हेठले कानूनों की एक अनपट में 10 वर्ष तथा शारीरिक कानूनों के अनपट में 15 वर्ष तक वी अवाल तक ही विद्युत रखा जा सकता है, जिसमें हेठले कानूनों के विषय वे डॉकी शारीरिक से विद्युत नी अवधि भी सम्मिलित होगी ।
- 6- अपार्टमेंट आद्य वालकातिक प्रभाव से हाँगू समझे जायेगे ।
- 7- कर्षण इस संस्करण से बुलिय ऐतिहास के संविधित इतरों में समुदाय संरौपन किये जाने हेठले गृह(पुलिय)भर्ता-7 को इस भ्रातावं पंजाजाप ।

धरणीय

इ०-

गांडा असाम

संदिग्ध इ०

मैला दृष्टा : 5001(T)/अ०३-१-नरपति

प्रीतिहारि नियोक्ताओं की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित :-

- (1) शुनिष्ठ पठानीरीकरक, पुलिय गुवाहाटी, राजहावाद ।
- (2) बुलिय पठानीरीकरक, अभिसूचना विभाग, ३०२० ।
- (3) शुनिष्ठ चैलनिरीकरक, अंतिप्रथम अनुसंधान विभाग, ३०२० ।
- (4) शुनिष्ठ पठानीरीकरक, चैलनिरीकरक, ३०२० ।
- (5) शुनिष्ठ उपपठानीरीकरक, एनकोय रेतवे पुलिय ३०२०, राजहावाद ।
- (6) नियोक्ता, शुनिष्ठ ऐटों बंसार, ३०१० शुनिष्ठ ऐटों गुवाहाटी, साथाङ ।
- (7) गृह(पुलिय) बहुतांग २,३,५,६,७,१०,११,१२ ए गोपन-७
- (8) दाखिल, शुनिष्ठ भंडी जी ।

आगा से

इ०-

अपार्टमेंट निवास, हेठले कानून संविधान ।

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था०(निर्देश) / 2017/900
सेवा में,

अतिविधिपूर्ण / महत्वपूर्ण
उत्तर प्रदेश

दिनांक:जून ३२ 2017

समस्त जोनल अपर पुलिस भाग्यनिदेशक/
पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उपरोक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जोनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकातम कार्यकाल कमशः 05 वर्ष व 08 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकातम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद का अधिकातम कार्यकाल कमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अद्यत उपरान्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी नाठपु०/स०पु० एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकातम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक/उपनिरीक्षक नाठपु० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकातम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1986 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मी को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में समयावधि पूर्ण हो थुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्भा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी की राजकीय रैली पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/चौकी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उन्हें गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक नाइपु0 एवं उपनिरीक्षक नाइपु0, स०पु0 को पूर्व की भाँति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी नाइपु0, स०पु0 व आरक्षी पुलिस को परिसेन्ट्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के कम में जोनल/परिसेन्ट्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिसेन्ट्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिकितयों के आनुपातिक सन्तुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिसेन्ट्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिसेन्ट्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभियंत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भाँति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्तर्यः स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिवश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकूल्या के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित असाधारण पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कर्मियों के परिवारीजन/रितेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1958 के नियम 27-क में निहित निर्दशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथ्यात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अभिसूचना /एल0आई0यू० की आख्या, कर्मी द्वारा शुद्धसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथ्यात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट राय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोपों के सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से गहराई से जांच करायी जाये तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिरित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से हीगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेंगे।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिस्थितीय एवं जोनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन् शासनादेश दिनांकित 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिस्थेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की घटाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व लेगा कि वह घटाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यवस्था कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यवस्था है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहाँ उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर द्यके कार्मिकों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किहीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आव्याय जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स0प0 के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विधार किया जायेगा।
- 2- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहाँ से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कार्मिकों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस आने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहाँ पर वह वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।

6- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपकरण/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही ऐत्रक विभाग को वापस किया जा भाकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का काट करें।

२५६।७
(एसएवी० शिरडी)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त परिषेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सुचनार्थ प्रेषित :-

- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।

० वा १
24/6/17

FAX

संख्या: 1001/०-५-१-१५-८१/२०१

पुलिस
महानिदेशक
उत्तर प्रदेश सरकार
सेवा मं.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5603

3202
शास्त्री

T6(E)

गृह (पुलिस) अनुभाव-
विषय-पुलिस बल के असंजप्तित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की सम्बन्ध में।

माहोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया जाने पर संख्या: भीजी-यार-स्पा०-१०६(३७०)/२०१५, दिनांक १७-०५-२०१५ का सन्दर्भ यह करने का काट कर, जिसके हारा राज्य सरकार के कर्मचारी के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के असंजप्तित कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के ०२ वर्ष की समयावधि के अन्तार्गत उड़े गृह घरारद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनदेश संघर्ष १०३९/०-५-१-१५-८१/२००१, दिनांक ०७-०६-२०१४ में संशोधन किये जाने का प्रसार उपलब्ध कराया गया है।

२- इस सम्बन्ध में भुजे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति पुलिस विभाग के सभी असंजप्तित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक की छाड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अवधि ०२ वर्ष या उससे कम है, उनके गृह घरारद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सचिक विधारणालै निर्णय लिया गया है।

३- प्रश्नगत शासनदेश दिनांक ०७-०६-२०१४ को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।
कृपया दामुसार कार्यालय सुनिश्चित करें।

निष्ठावाच
(मणि प्रसाद मिश्र)
राधिय।

संख्या: 1001(१)/०-५-१-१५-८१/२००१ तारिखिक।

प्रतिलिपि निर्णयिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु भवित्व-

- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०३० पुलिस प्रम्भालय, इलाहाबाद।
- अपर पुलिस महानिदेशक, अमिताभपुरा विभाग, उ०३० सखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०३० सखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, वी०३०ली०, उ०३० सखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, राजसीय रेलवे पुलिस, उ०३० सखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ०३० पुलिस ऐडिटो पुस्तकालय, सखनऊ।
- पुलिस उप महानिदेशक, स्पायन, उ०३० पुलिस प्रम्भालय, इलाहाबाद।
- पुलिस उप महानिदेशक/परिच पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त उपकर, उ०३०।
- गृह (पुलिस) एवं गोपन के समात अनुग्राम।
- गार्ड काहल।

पुलिस विभागाधारी (संभाल)

१०८३८

26/७/१५

आइए,

(वल्लू लाल)
अनु स्थिय।

पुलिस उप महानिदेशक (संभाल)
पुलिस विभाग
००३०, सखनऊ
७८८८८१।।।

001
2
2001-727/6-5-1-12-01/2001

मोहन,

लीग्यू लिंगरी,
साड़ी, पुरु
उत्तर प्रदेश।

संयोग।

पुलिस गठनिरीक्षण,
उत्तर प्रदेश।

पुरु (पुरेस) अमृतनाथ-।
गिरजा पुलिस बल के आरक्षी, गुजराती, उप निरीक्षण द्वारा निरीक्षण की गिरिधर एवं
राजनालेख।

उपर्युक्त विवरण नंबर-500/आठ-1-06 विचार 11, जुलाई 1986 को
कृपया संगीर्ण ग्रहण करने का काम करें।
2- उपर विवरण में गुरु एवं एक फट्टो भी पुलिस विवरण वे वार्षिक आरक्षी
एवं गुरु आरक्षी के राजनालेख विवरण की अनुसार आरक्षी एवं गुरु आरक्षी का
राजनालेख उनके गुरु एवं एक फट्टो द्वारा दिये गये हैं। एक इन पुलिस विवरणों की व्यापकीय
विवरणों के सुनिकाया विवरण विवरण के उत्तराधिकारी, गुरु एवं एक फट्टो
आगामी द्वारा दिया गया विवरण विवरण के उत्तराधिकारी, गुरु एवं एक फट्टो
उपर वासनावेश रखें। 500/आठ-1-06 विचार 11 जुलाई 1986 को दिया गया।
गण राजीव राजीव राजीव।

विवरण,

(लोन लिंगरी)
राजीव

प्रश्ना एवं उत्तर (अधिक)

उपर दी गयी विवरणोंका सभी विवरण एवं आवश्यक विवरणाती देखे गए :-
(1) आपर गुरु (पुलिस गठनिरीक्षण, काम्पन, उत्तर प्रदेश)।
(2) पुलिस गठनिरीक्षण स्थापना, गुरुवारपूर्वक मठनिरीक्षण, उत्तर प्रदेश।
(3) पुलिस उप निरीक्षण राजनालेख उत्तर पुलिस गुरुवारपूर्वक, उत्तर प्रदेश।
(4) गर्भ फाला।

विवरण

हाँ

हाँ

हाँ (पुलिस विवरण)

हाँ (पुलिस विवरण)

हाँ (पुलिस विवरण)

विवरण

(पुलिस विवरण)
विवरण विवरण

विवरण विवरण विवरण